लय

फर्द अहकाम

प्रकाशी बनाम धासी

17/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24/9/24	पत्रावली पेशकी निमित्त [illegible] 1-2 दावी [illegible] दिनांक 30/9/24 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
30/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अभिभाषक उपस्थित। वकील प्रार्थी ने आज दिनांक 9.8.19 में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थीगण ने आज दिनांक 9.8.19 में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील अभिभाषकों की बहस का मनन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि हाल पत्रावली सम्वत् 2074-2077 के खाता सं. 9 में वर्णित खातेदार कुल किता - 45 कुल रकबा 8.75 है0 वाके ग्राम भोटेड तहसील सांगानेर में कजोड पुत्र शूरा हिस्सा 1/4 जाति माली, धासी पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति माली व नानगा पुत्र भोल्या 1/4 जाति माली सा0 दे खातेदार दर्ज रकार्ड है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काबिज नही है क्योंकि प्रार्थना पत्र केश व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे नही पाये गये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी खा0नं0 राम कुल किता 45 कुल रकबा 8.75 है0 वाके ग्राम भोटेड तहसील सांगानेर का खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाऊ तकमील मुकदमात के साथ संलग्न हो। (सुनाया गया)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:05:06 IST
Reason: SelfAttested